(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं.9/2017-सीमाशुल्क (एडीडी)

नई दिल्ली, दिनांक 24 मार्च, 2017

सा.का.नि. (अ)- जहां कि, चीन जनतांत्रिक गणराज्य (जिसे इसके पश्चात् उक्त देश के रूप में संदर्भित किया गया) में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (जिसे इसके बाद उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया) की पहली अनुसूची के शीर्षक 2942 के अंतर्गत आने वाले डाइक्लोफ़ैनैक सोडियम के आयात पर प्रतिपाटन शुल्क की समीक्षा के मामले में, नामित प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 दिनांक 7 अक्तूबर, 2014 में प्रकाशित, अधिसूचना सं.15/3/2013-डीजीएडी, दिनांक 2 अक्तूबर, 2014 में अपने अंतिम निष्कर्षों के तहत, उक्त देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डाइक्लोफ़ैनैक सोडियम पर प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की अनुशंसा की थी ।

जहां कि, प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्रीय सरकार ने भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i), दिनांक 21 नवम्बर, 2014 में सा.का.नि. सं.834(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय(राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.44/2014-सीमाशुल्क(एडीडी), दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के तहत उक्त देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डाइक्लोफ़ैनैक सोडियम पर प्रतिपाटन शुल्क का अधिरोपण किया था ।

और जहां कि, डाइक्लोफ़ैनैक सोडियम के आयातों पर अधिरोपित प्रतिपाटन शुल्क बाधा के मामले में अधिसूचना सं.14/22/2014-डीजीएडी, दिनांक 17 फरवरी, 2016 के तहत उक्त देश में उद्भूत और वहां से निर्यातित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के अध्याय 29 के अंतर्गत आने वाले इंडोलिनोन (जिसे इसके पश्चात् संबद्ध माल के रूप में संदर्भित किया गया) के आयातों हेतु, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.44/2014-सीमाशुल्क (एडीडी), दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के तहत, उक्त देश में उद्भूत और वहां से निर्यातित डाइक्लोफ़ैनैक सोडियम के आयातों पर लगाए गए प्रतिपाटन शुल्क को बढ़ाने की आवश्यकता का निर्धारण किए जाने हेतु जांच की शुरूआत की थी।

और जहां कि, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग I, खण्ड 1 में, अधिसूचना सं0.14/22/2014-डीजीएडी, दिनांक15 फरवरी, 2017 के तहत प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि-

(i) बाधक उत्पाद (इंडोलिनोन) के आयात में काफी वृद्धि हुई और डिक्लोफेनेक सोडियम पर प्रतिपाटन माप लगाने के बाद निरोधक उत्पाद (डायक्लोफैनैक सोडियम) में गिरावट आई।

(ii) इंडोलिनोन को डीक्लोफेनेक सोडियम में परिवर्तित करने के लिए संवर्धन मूल्य निर्धारित सीमा से अपेक्षाकृत कम है ।

(iii) इंडोलिनोन का जांच की अवधि के दौरान पाटित मूल्यों पर निर्यात किया गया है ।

और संबद्ध देश में उद्भूत या वहां से निर्यात किए गए संबद्ध माल पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं.44/2014-सीमाशुल्क(एडीडी), दिनांक 21 नवम्बर, 2014 के तहत, संबद्ध देश में उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित डीक्लोफेने सोडियम के आयातों पर लगाए गए विद्यमान प्रतिपाटन शुल्क के अधिरोपण की अनुशंसा की गई है ।

अतः, अब सीमाशुल्क टैरिफ (पाटन वस्तुओं की पहचान, उन पर कर निर्धारण और प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण और क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 27 के साथ पठित, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उप-धारा (1), (1क) और (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, नामित प्राधिकारी के उपर्युक्त अंतिम निष्कर्षों पर विचारण के पश्चात एतद्द्वारा विषयगत माल, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं, जो कॉलम (2) में सामने की प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट हैं, कॉलम (4) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश में उद्धत हैं और कॉलम (5) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट देश से निर्यातित हैं और कॉलम (6) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट उत्पादक द्वारा उत्पादित हैं तथा कॉलम (7) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट निर्यातक द्वारा निर्यातित हैं, और भारत में आयातित हैं, पर उक्त सारणी के कॉलम (9) में सामने दी गई प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट माप की प्रति यूनिट, कॉलम (10) में विनिर्दिष्ट मुद्रा में एवं कालम (8) में सामने दी गई प्रविष्टि राशि के समतुल्य प्रतिपाटन शुल्क दर लगाती है ।

सारणी

क्र. सं.	टैरिफ मद	माल का विवरण	उदगम देश	निर्यातक देश	उत्पादक	निर्यातक	राशि	मापन की इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	2908 19 00, 2914 29 90, 2914 70 90, 2921 44 90, 2922 49 90, 2933 39 90, 2933 79 00, 2933 99 00 2942 00 90	इंडोलिनोन	चीन जनतांत्रिक गणराज्य	कोई	कोई	कोई	2715	मीट्रिक टन	यूएस डॉलर
2.	2908 19 00, 2914 29 90, 2914 70 90, 2921 44 90, 2922 49 90, 2933 39 90, 2933 79 00, 2933 99 00 2942 00 90	इंडोलिनोन	चीन जनतांत्रिक गणराज्य के अलावा कोई देश	चीन जनतांत्रिक गणराज्य	कोई	कोई	2715	मीट्रिक टन	यूएस डॉलर

2. यह अधिसूचना 20 नवम्बर, 2019, सहित इस तिथि तक, यदि इसके पहले इसको रद्द नहीं किया गया, प्रभावी बनी रहेगी और प्रतिपाटन शुल्क का भुगतान भारतीय मुद्रा में किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण:- इस अधिसूचना के उद्देश्य हेतु, ऐसे प्रतिपाटन शुल्क के संगणन के प्रयोजन हेतु लागू विनिमय दर वही दर होगी जो भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना, जिसे सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय-समय पर जारी किया जाता है, में विनिर्दिष्ट हो और विनिमय की इस दर के निर्धारण हेतु संगत तिथि वही होगी जोकि उक्त सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत प्रविष्टि-बिल की प्रस्तुत करने की तारीख हो।

[फा.सं.354/21/2008-टीआरयू(पार्ट-II)]

(अनुराग सहगल)
अवर सचिव, भारत सरकार